



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243903
CG-DL-E-24022023-243903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 841]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2023/फाल्गुन 5, 1944

No. 841]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023/PHALGUNA 5, 1944

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 फरवरी, 2023

का.आ. 875(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उप मंडल अधिकारी, (सिविल), जगाधरी, यमुनानगर को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला : यमुनानगर

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	मस्तील नम्बर	सर्वेक्षण संख्या	अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	यमुनानगर	कलानौर	26//	16	0.2682
			26//	17	0.1265
			26//	4/1	0.0228
			26//	4/2/1	0.0734
			26//	4/2/2	0.0481

[फा. सं. 2023 / एलएमएल-II / 12 / 2 / ईसी / 2382]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2023

S.O. 875(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Yamunanagar in the State of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub-Division Officer (Civil), Jagadhari, Yamunanagar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Yamunanagar in the State of Haryana.

District: Yamunanagar

Serial Number	Name of Taluka	Name of village	Musteel No.	Survey Number/Block Number	Area to be Acquired in Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Yamunanagar	Kalanaur	26//	16	0.2682
			26//	17	0.1265
			26//	4/1	0.0228
			26//	4/2/1	0.0734
			26//	4/2/2	0.0481

[F. No. 2023/LML-II/12/2/EC/2382]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)